भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 562

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।

31 आषाढ़, 1948 (शक)

बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े विज्ञापन

562. श्री मनीश तिवारीः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े विज्ञापनों के प्रसार का आरोप लगाने वाली रिपोटों पर संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है

(घ) क्या मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचा मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए अवैध या हानिकारक सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों का पता लगाने, उन्हें रोकने और हटाने के लिए विशिष्ट दायित्व निर्धारित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के आलोक में, हानिकारक सामग्री का एआई-आधारित पता लगाने सहित ऑनलाइन विज्ञापन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सामग्री परिनियमन प्रणालियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियामक ढांचे की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन किया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं

(घ) क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा "शून्य सहिष्णुता" की नीतियों के दावों के बावजूद ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म के सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने में सक्षम रहे और यदि हां, तो इस नियामक विफलता के क्या कारण हैं।

(ङ) क्या सरकार का सीएमएएम सहित अवैध और हानिकारक सामग्री के प्रसार और मुद्रीकरण को रोकने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन के नियामक ढ़ांचे को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(च) क्या सरकार ने ऐसे विज्ञापनों और संबंधित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क की पहचान करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(छ) क्या अवैध सामग्री के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले टेलीग्राम जैसे बाहरी प्लेटफॉर्मों के लिंक की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा रही है और उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है; और

(ज) क्या सरकार ने लक्षित विज्ञापनों के माध्यम से दिखाई देने वाली ऐसी सामग्री के कारण बच्चों और संवेदनशील उपयोगकर्ताओं के समक्ष जोखिमों का आकलन किया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ज):** सरकार की नीतियों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों सहित अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ने मिलकर डिजिटल स्पेस में गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए एक सख्त तंत्र तैयार किया है।

<u>सोशल मीडिया पर सीएसएएम सामग्री:</u>

भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री सीएसएएम से जुड़े विज्ञापनों के प्रसार का आरोप लगाने वाली खबरों को गंभीरता से लिया है और संबंधित मध्यस्थ से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ("एनसीपीसीआर") ने भी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")</u>

आईटी अधिनियम विभिन्न साइबर अपराधों जैसे पहचान की चोरी (धारा 66 सी), प्रतिरूपण (धारा 66 डी), गोपनीयता उल्लंघन (धारा 66 ई), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने (धारा 67, 67 ए, 67 बी) के लिए सजा प्रदान करता है। यह पुलिस को अपराधों (धारा 78 और 80) की जांच करने का अधिकार भी देता है।

<u>आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम")</u>

आईटी नियमों के तहत मध्यस्थों पर यह विशेष दायित्व डाला गया है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतें और कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करें कि वे ऐसी कोई भी जानकारी होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अपडेट या साझा न करें जो बच्चों के लिए हानिकारक हो, अश्लील हो, पोर्नोग्राफिक हो, किसी अन्य की गोपनीयता का उल्लंघन करती हो, लिंग के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न करती हो या उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो।

किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण/आंशिक नग्नता, निजी अंगों के प्रदर्शन और कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियों से संबंधित किसी भी सामग्री के बारे में शिकायत प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर, मध्यस्थ को अपने द्वारा होस्ट, संग्रहीत, प्रकाशित या प्रसारित की गई ऐसी सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए सभी उचित और व्यावहारिक उपाय करने चाहिए।

<u>आईटी नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन:</u>

आईटी नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य मध्यस्थों को सक्षम न्यायालय के आदेश की प्राप्ति के तीन घंटे के भीतर या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा तर्कसंगत सूचना प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना आवश्यक है।

मध्यस्थों को, उन मामलों में जहां उल्लंघन में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत अपराध करना शामिल है - जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के साथ पढ़ा जाए, या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जिसमें रिपोर्टिंग अनिवार्य है - ऐसे अपराध की रिपोर्ट लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित प्राधिकारी को करनी होगी।

<u>एआई जनित सामग्री के कारण होने वाले नुकसानों का प्रतीकार:</u>

सरकार ने कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचनाओं (एसजीआई) से होने वाले नुकसानों, जिनमें डीपफेक और एआई-जनित सामग्री शामिल हैं, से निपटने के लिए आईटी नियम, 2021 में संशोधन करके नियामक ढांचे को और मजबूत किया है।

संशोधन से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

- मध्यस्थों को अनुमेय एआई-जनित सामग्री के लिए स्पष्ट लेबलिंग और पता लगाने योग्य मेटाडेटा सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री की पहचान कर सकें और धोखे या दुरुपयोग को रोक सकें।
- यह उपयोगकर्ता की जवाबदेही और प्लेटफ़ॉर्म की उचित सावधानी को और मजबूत करता है, जिसमें गैर-कानूनी एआई-जनित सामग्री के कानूनी परिणामों के बारे में उपयोगकर्ताओं की अनिवार्य जागरूकता और सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए सुदृढ़ अनुपालन दायित्व शामिल हैं।

- महत्वपूर्ण रूप से, दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से बाल यौन शोषण सामग्री, गैर-सहमति वाली अंतरंग इमेजरी, प्रतिरूपण और अन्य हानिकारक एआई-जनित सामग्री को कवर करते हैं, जिससे प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री को रोकने और पता चलने पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।
- अनुपालन के लिए समयसीमा को सुदृढ़ करना, जिसमें उचित सरकार या न्यायालय के आदेशों से वैध तर्कसंगत सूचना मिलने पर गैरकानूनी जानकारी को हटाने की समयसीमा को कम करना (समयसीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी गई है) और शिकायत निवारण (जिसमें नग्नता/पहचान छिपाना आदि जैसी विशेष श्रेणियां शामिल हैं) के लिए समयसीमा को कम करना (संवेदनशील मामलों के लिए समयसीमा क्रमशः 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दी गई है)।
- मध्यस्थ स्वचालित उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उचित और उचित तकनीकी उपायों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, ताकि किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी बनाने, उत्पन्न करने, संशोधित करने, बदलने, प्रकाशित, संचारित, साझा करने या प्रसारित करने की अनुमति न दी जा सके, जैसा भी मामला हो, किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी जो उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती है।

आईटी नियम महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआई) को बलात्कार, बाल यौन शोषण या आचरण को दर्शाने वाले किसी भी रूप में किसी भी कार्य या सिमुलेशन को दर्शाने वाली किसी भी रूप में किसी भी कार्य या सिमुलेशन को दर्शाने वाली जानकारी की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए उचित प्रयास करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने के लिए महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (एसएसएमआई) को अनिवार्य करते हैं, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित, या ऐसी कोई भी जानकारी जो पहले हटाई गई जानकारी के लिए सामग्री में बिल्कुल समान हो।

मुख्य रूप से संदेश भेजने जैसी सेवाएं प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ को अपने कंप्यूटर संसाधन पर मौजूद जानकारी के मूल स्रोत की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित किसी अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या दंड का प्रावधान हो सके, या उपरोक्त से संबंधित किसी अपराध के लिए उकसाने या बलात्कार, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित किसी अपराध के लिए, जिसके लिए कम से कम पांच वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है, का पता लगाया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में दिए गए कानूनी दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में, मध्यस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्राप्त तृतीय पक्ष सूचना से छूट समाप्त हो जाती है। वे किसी भी मौजूदा कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

<u>सलाह और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी):</u>

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों के तहत उचित सावधानी बरतने के दायित्वों के पालन पर जोर देते हुए सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित सभी मध्यस्थों को कई सलाह जारी की हैं। जारी की गई सलाहों और तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार है:

- दिनांक 29.12.2025 की सलाह के माध्यम से, सरकार ने मध्यस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत वैधानिक उचित सावधानी बरतने के दायित्वों का पालन करने के लिए दोहराया, ताकि उनके प्लेटफार्मों पर अश्लील, अभद्र, आपत्तिजनक, पोर्नोग्राफिक और अन्य गैर-कानूनी सामग्री की मेजबानी, प्रकाशन, प्रसारण, साझाकरण या अपलोडिंग को रोका जा सके। इसने मध्यस्थों को अपने आंतरिक अनुपालन ढांचे, सामग्री नियंत्रण प्रथाओं और उपयोगकर्ता प्रवर्तन तंत्रों की तत्काल समीक्षा करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से और निरंतर पालन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी।
- दिनांक 16.03.2026 को मध्यस्थों को अपमानजनक, मानहानिकारक, आपत्तिजनक, निंदनीय और भ्रामक कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी के निर्माण, होस्टिंग, प्रकाशन, प्रसारण, साझाकरण या अपलोड करने के संबंध में एक सलाह जारी की गई थी।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैर-सहमति वाली अंतरंग इमेजरी (एनसीआईआई) सामग्री के प्रसार को कम करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया ("एसओपी") तैयार की गई है और 11.11.2025 को जारी की गई है। एसओपी पीड़ितों, बिचौलियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि सहमति के बिना साझा की गई अंतरंग या मॉर्फ्ड इमेजों सहित एनसीआईआई सामग्री के ऑनलाइन प्रसार के खिलाफ त्वरित और समान कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
